BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 51/2020
(I.A No. 103/2020 & I.A No. 104/2020)

IN THE MATTER OF:

Ajay Bisht ...Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand and Anr. ...Respondent(s)

FACTUAL REPORT ON BEHALF OF PCCF (HOFF), UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE TO THE DIRECTIONS ISSUED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ORDER DATED 24.02.2020

The land/construction of road, referred in the above mentioned Original Application filed before this Hon'ble Tribunal, lies in the Kumaoun Region of the State of Uttarakhand. Therefore, a detailed report was sought by this office from the Chief Conservator of Forests, Kumaoun, Uttarakhand on the facts in question. The reply submitted by the Chief Conservator of Forests, Kumaoun, Uttarakhand is annexed herewith as **ANNEXURE-1**. On the basis of the reports furnished by Chief Conservator of Forests, Kumaoun, Uttarakhand, the factual report is being submitted as follows:

On the complaints dated 03.03.2020 of Kaustubh Kumar Singh Rawat, Sarpanch Van Panchayat-Jaminipar and Smt. Hema Devi, Gram Pradhan-Jaminipar on the above matter, clarification on various points raised by the complainants was sought from the Executive Engineer, Construction Division, PWD Ranikhet vide letter No. 3824/12-1 dated 07.03.2020 issued by the office of the D.F.O., Almora. Thereafter, a joint inspection of the site was done by Sub-Divisional Forest Officer, Almora along with the Assistant Engineer, Construction Division, PWD Ranikhet on 12.03.2020. Subsequently, the Executive Engineer Construction Division, PWD Ranikhet responded in the matter vide his letter no 554/1c dated 17.03.2020 as follows: -

1. The complainants have mentioned in their complaint-letters about three motor roads at two locations –

Location No. 1 : Tipola-Jajali-Bhikiyasain motor road km. 0.30 to Jaminipar (PMGSY road);
Location No. 1A: Jaminipar to Rithamahadev (PMGSY road);

Location No. 2 : Gagas-Urimahadev-Sailapani motor road via Jaminipar.

Amongst the above-mentioned said locations, Executive Engineer, PWD, Ranikhet has already completed the work at the first location. As per the reports from the PWD, the complainants want to get connected to the road mentioned as Location No.2 via a link road, whereas the villagers of Jaminipar want that their village should be connected to the road mentioned as location no 2 i.e. *Gagas-Urimahadev-Sailapani-Bhikiyasain-Marchula* motor road. Therefore, Jaminipar village has been connected to PMGSY road from the village Ida, and the end point of this road is proposed to be connected with *Gagas-Urimahadev-Sailapani-Bhikiyasain-Marchula* motor road.

2. A detailed report with respect to the sanction by the Government, vide letter No. 544/1-c dated 07.03.2020 by Provincial Division, PWD Ranikhet, was provided to the office of the Divisional Forest Officer, Almora Division, Almora regarding the construction of the motor-road around Jaminipar. Copy of the said letter is annexed herewith as **ANNEXURE-2.**

3. As per the complainants, the consent of Van Panchayat Management Committee was not taken for the affected Van Panchayat land for the construction of *Gagas-Urimahadev-Sailapani-Bhikiyasain-Marchula* motor road. It is to be emphasised that the Forest Department has no ownership or direct administrative control over *Panchayati Van* land. It is only the Revenue Department of the State Government who has all the control of *Panchayati Van* land. Therefore, no formal permission from the concerned Van Panchayat Management Committee was required in the matter as the permission by the State Government had been given vide Government Order No. G.I. 2338/7-1-2010-600 (2905)/2008 dated 31.08.2010. Copy of the order dated 31.08.2010 is annexed herewith as **ANNEXURE-3.**

4. In reply to the felling of trees in the construction of the *Gagas-Urimahadev-Sailapani-Bhikiyasain-Marchula* motor-road, it is to be submitted here that the Divisional Forest Officer, Almora Division vide his letter No. 5226/9-1(3) dated 30.03.2010 allotted the work of felling of trees to the Uttaranchal Forest Corporation where 36 out of 128 trees were felled by the Corporation. Later, due to the disputes between the Gram Panchayats, the then Divisional Forest Officer, Almora Division vide his letter No. 2691/9-1(3) dated 23.12.2013 cancelled the said allotment. Thereafter, no request came from the Corporation or the PWD to get the remaining trees felled. It is to be mentioned again that the ownership of the trees was not with the Forest Department as the land was not of Reserved Forest. Copy of the letter dated 23.12.2013 is annexed herewith as **ANNEXURE-4.**

5. On the inspection of the construction site by Sub-divisional Forest officer and Assistant Engineer, it was found that there was no dumping zone for the muck disposal. It is to be submitted here that the PWD had identified and

reported a piece of land at *Kaluwakhet, tok - Jaminipar* for the purpose of muck disposal. Copy of the concerned letter is annexed herewith as **ANNEXURE-5**. The PWD has planned to dispose the muck in the following manner:-

I. The muck arising from the proposed *Gagas-Urimahadev-Sailapani-Bhikiyasain-Marchula* motor road from Kms 0 to 10 will be used in *benap* forest and water-free land and about 20% of the muck has been proposed to be spread on the road at the time of construction;

II. On the said road, 4 passing-phase/Km are to be constructed for which about 15% of the muck is proposed to be used to widen the road;

III. About 15% of the muck (mainly stones and boulders) is proposed to be used to construct walls, fill the back-side of walls and construct bridges (*puliyas*).

It is also important to mention here that in the construction of the said motor-road, a total of 7.297 ha forest land is being affected which is *Benap* and *Panchayati Van* land over which only the Revenue Department has the ownership and administrative control. No area of Reserve Forest is being affected in the construction of the said motor-road.

6. As per complainants, cutting of 0.125 ha was done by the contractor of the PWD in the month of February 2020 without their consent, while the fact is that, as per the PWD letter No. 101/27-6 dated 14.01.2020, the matter of compensation of affected 0.125 ha of agricultural land was widely publicised through daily newspaper - "Amar Ujala". Thereafter, another letter No. 325/18-c, dated 10.02.2020 was issued by the PWD to the concerned villagers inviting claims for the compensation. However, none of the villagers could produce the necessary certificates as per the requirement for compensation. Therefore, as per the directions in the order dated 10.01.2020 passed by Hon'ble High Court of Uttarakhand, the construction work was carried out in the above disputed portion of the road also. Copy of the said publication and relevant letter are annexed herewith as **ANNEXURE-6 Colly.**

7. It is also to be brought to the notice of this Hon'ble Tribunal, that the matter was first heard by the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital as WPMS 3626/2019 (Hema Devi & Ors. Vs. State of Uttarakhand & Ors.) and an order dated 10.01.2020 was passed by the Hon'ble High Court in the matter. It was observed by the Hon'ble Court that the construction of the road was in public interest and in view of this observation, writ petition was dismissed and therefore, PWD continued with the execution of work. Copy of the order dated 10.01.2020 is annexed herewith as **ANNEXURE-7.**

8. Thereafter, the petitioners preferred Special Appeal, SPA 40/2020 (Hema Devi & Ors. Vs. State of Uttarakhand & Ors.), before the Hon'ble High Court of Uttarakhand. The Hon'ble Court modified the writ order dated 10.01.2020 and passed new directions vide order dated 12.02.2020 directing the State Authorities to not to interfere with the appellants' (writ petitioners') land, except after acquiring their land in accordance with the provisions of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Copy of the order dated 12.02.2020 is annexed herewith as **ANNEXURE-8.**

6. In reply to the points raised by the complainants for the compliance of order dated 12.02.2020, passed by the Hon'ble High Court in the matter SPA 40/2020 (Hema Devi & Ors. Vs. State of Uttarakhand & Ors.), clarifications as received from the Executive Engineer, PWD, Ranikhet are as follows:

I. Land transfer for Gagas-Urimahadev-Sailapani-Bhikiyasain-Marchula motor road 7.29 Ha of affected forest land in 10 Kms, has been sanctioned vide Government Order No. G.I. 2338/7-1-2010-600 (2905)/2008 dated 31.08.2010. For the remaining portion of nap-land of village Jaminipar and Jaminiwar, proposal was prepared by the PWD. Vide letter No. 101/27-6 dated 14.01.2020, the concerned villagers were asked to submit their claims for the compensation against 0.125 Ha of affected agricultural land. This was publicised through daily newspaper - "Amar Ujala" on 02.02.2020 and subsequently a letter No. 325/18-c dated 10.02.2020 was sent to the concerned villagers by the PWD inviting claims for the compensation.Till date none of the villagers could produce necessary certificates for compensation as per the requirement.

II- According to the point No.2 of this report.

III- According to the point No.2 of this report.

IV- Sanction with respect to the length of 10 Kms of the said road has already been given vide order No. 299/लो0नि0–2/04–16 (प्रा0आ0)/4 दिनांक 28–02–2004. The consent letter of the villagers is already annexed with alignment proposal but consent letter by the villagers of Jaminipar is not annexed with the original proposal.

V- According to the point No.3 and point No.5 of this report.

VI- In addition to above, sanction has also been given for connecting Jaminipar to Rithamahadev motor road for which survey is in progress.

VII- According to the point No.2 of this report.

VIII-As per point no 6I of this report.

7. As per the complainants, even after the order dated 12.02.2020 passed by the Hon'ble High Court in the matter SPA 40/2020 (Hema Devi & Ors. Vs. State of Uttarakhand & Ors.), the PWD had cut the agricultural land on 22.02.2020, while as per the PWD report, the cutting of the said *napland* was done after the decision of the Hon'ble High Court vide order dated 10.01.2020 stating that the construction of the road was in public interest.

8. In reply to points raised by the complainant about not taking the consent of Van Panchayat Committee, the PWD has mentioned that only after getting consent of the villagers and no objection from the former Pradhan, village Jaminipar, the construction of aforesaid road was started but later it was informed by the former Pradhan, through a letter dated 09.10.2020 that no such document was ever signed by him. Copy of the consent letter given by the local residents and the letter dated given by former Gram Pradhan are annexed herewith as **ANNEXURE-9 Colly.**

9. According to the point No.3 and point No.5 of this report.

It is clear from the report furnished by the DFO Almora, duly endorsed by the Chief Conservator of Forests, Kumaoun, Uttarakhand, that all the necessary steps and permissions respect to the transfer of forest land were taken from the concerned authorities for the construction of the said road.

This Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take this factual report on record in the interest of justice.

प्रमुख वन संरक्षक

DATE: 17-10-2020

PLACE: Dehradun.

(Jai Raj) उत्तराखण्ड, देहरादून

PCCF (HoFF)

UTTARAKHAND, DEHRADUN.

1 ANNEXURE-1
(Pages 1 to 29)

कोर्ट केश / महत्वपूर्ण / आज ही / ई-मेल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(फेरीहाल वन परिसर, तल्लीताल, नैनीताल)

टेलीफैक्स: 05942-236218, ईमेल: ccf_kumaon@rediffmail.com

पत्रांक: 1477 / 29-3(3) दिनांक, नैनीताल 16 अक्टूबर 2020।

सेवामें,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड नैनीताल।

विषय:– गणास–उडीमहादेव–सैलापानी–मरचूला मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक–850 / 29–3(3) दिनांक 06–03–2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्रांक 1591 / 29–3–(3) दिनांक 06–03–2020 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा के पत्रांक–2163 / 12–1(2) दिनांक 15–10–2020 (संलग्नको सहित) सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जिसे मूल में मय सलग्नको की संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

संख्या:– 1477 (1) / दिनांकित।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार संलग्नको सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

Scanned with CamScanner

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ & Fax (05962) 231099 Fax230197

पत्रांक 1476 / 29—3(3) अल्मोड़ा, दिनांक, 09.10.2020 ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आदेश संख्या 51 / 2020 अजय बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड सरकार के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 850 / 20—3(3) दिनांक 06.03.2020

महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 850 / 29—3(3) दिनांक 06.03.2020 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आदेश संख्या 51 / 2020 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तुत संशोधित आख्या जो पत्रांक 56 (सिविर) / 29—1(3) दिनांक 09.10.2020 से इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संस्तुति सहित (मय संलग्नकों) आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :— यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष– 05962–230065 E-mail: almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 56 (शिविर) / 29–1(3) दिनांक, 09 / 10 / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आदेश सं0 51 / 2020 अजय बिष्ट बनाम् उत्तराखण्ड सरकार के सम्बन्ध में संशोधित आख्या।

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 850 / 29–3(3) दिनांक 06.03.2020।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 191(शि0) / 29–1(3), दिनांक 20.03.2020 द्वारा प्रेषित विषयगत जाँच आख्या में आंशिक संशोधन करते हुए संशोधित आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सरपंच वन पंचायत जमीनीपार व श्रीमती हंसा देवी प्रधान ग्राम पंचायत ग्राम जमीनीपार के शिकायती पत्र दिनांक 03.03.2020 में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 51 / 2020 में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 के कम में शिकायतकर्ता द्वारा गगास–उडीमहादेव–सेलापानी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा एवं सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, रानीखेत के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरिक्षण किया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक 38 / 24–12–1 दिनांक 07.03.2020 के प्रतिउत्तर में अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत से प्राप्त विवरण एवं संयुक्त निरीक्षण उपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है।

1– गगास–उडी महादेव–सेलापानी मोटर मार्ग निर्माण में शिकायतकर्ता द्वारा दो लोकेशन में तीन मोटर मार्ग का उल्लेख किया गया है।

लोकेशन सं0 1– तिपोला, जाजली भिकियासैण मोटर मार्ग के 0.30 किमी से जमीनीपार तक (पी0एम0जी0एस0वाई0)

लोकेशन सं0 2– 1 (ए) जमीनी पार से रीठा महादेव।

लोकेशन सं0 3– गगास – उडी महादेव – सैलापानी मोटर मार्ग वाया जमीनीपार

उक्त में पी0एम0जी0एस0वाई0 रानीखेत द्वारा लोकेशन एक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त आख्यानुसार शिकायतकर्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित उक्त मोटर रोड को लिंक रोड से जोड़ना चाहते हैं, जबकि जमीनीपार की जनता द्वारा गगास–उडीमहादेव, सैलापानी–भिकियासैण मरचूला मोटर मार्ग से जमीनीपार को जोडे जाने हेतु कहा जा रहा है। इस कारण ग्राम जमीनीपार को पी0एम0जी0एस0वाई0 की ईड़ा से जमीनीपार मोटर मार्ग से जोड़ा गया है। इस मार्ग के अंतिम बिन्दु से गगास–उडी महादेव–सेलापानी–भिकियासैण मरचूला मोटर मार्ग में मिलान प्रस्तावित है।

2— जमीनीपार के आसपास मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 544/1—सी0, दिनांक 07.03.2020 से विस्तृत आख्या प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार है—

गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी–भिकियासैंण–मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 290/लो0नि0–2/04–16(प्रा0आ0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 जी0आई 2338/7–1–2010–600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा 7.297 हे0 भूमि हेतु प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग के प्रथम 2.00 किमी0 में वर्ष 2013 एवं किमी0 5.00 से 10.00 में वर्ष 2019 में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किमी0 3.0 में लगभग 200 मीटर में ग्राम जमीनीपार की नाप भूमि प्रभावित हुई थी। जिसके अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किये गये थे। परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्ताव गठित करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस कर दिया गया। ग्राम जमीनीपार द्वारा नाप भूमि में आपत्ति दर्ज की जा रही थी। वार्ता करने पर ग्राम जमीनीपार द्वारा मांग की गयी थी कि जमीनीपार में निर्मित पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग को कोलूखेत होते हुए रीठमहादेव तक मिलान किया जाय। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग के अन्तिम बिन्दु जमीनीपार से आगे रीठमहादेव तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 275/III(2)/19–48(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.01.2019 लागत रू0 22.29 लाख लम्बाई 4.00 किमी0 प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। उपरोक्त स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त विषयक मोटर मार्ग की निविदा आमंत्रित की गयी। उक्त मार्ग में जमीनीपार के अतिरिक्त अन्य ग्राम जमीनीचार, खैरिया, उड़ीमहादेव, खनोलिया, नापड़, सिंगोली, अमोली, बौली, उड़ोली आदि ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से भिकियासैंण से रानीखेत/द्वाराहाट की दूरी कम हो जायेगी एवं उक्त मार्ग मरचूला से धारचूला मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु गगास उड़ीमहादेव शैलापानी भिकियासैंण मरचूला मोटर मार्ग का मुख्य भाग है। उक्त भाग में मार्ग निर्माण न होने से उक्त महत्त्वकांक्षी योजना पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसका निर्माण जनहित में किया जाना अनिवार्य है। उक्त मार्ग निर्माण शीघ्र न होने की दशा में खैरिया, उड़ीमहादेव, खनोलिया आदि ग्रामवासियों द्वारा आन्दोलन की धमकी दी गयी है एवं शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में आमरण अनशन पर दिनांक 19.11.2019 से धरने पर बैठने हेतु अवगत कराया गया है। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जनहित में उक्त मार्ग किमी0 3 व 4 की निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा प्राप्त होने के पश्चात ग्रामवासियों द्वारा पुनः नाप भूमि में विवाद किया गया और मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दायर किया गया।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीचार व जमीनीपार के ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 14.01.2020 को पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 02.02.2020 के अमर उजाला संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति भी जारी की गयी। परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र

जमा न किये जाने के कारण उक्त मार्ग के कि0मी0 3 व 4 का निर्माण कार्य किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 के आदेश को द्वितीय बैंच में चुनौती दी गयी। द्वितीय बैंच द्वारा दिनांक 12.02.2020 को दिये गये निर्णय से पूर्व उक्त ग्राम जमीनीपार के नाप भूमि में मार्ग का निर्माण कार्य कर लिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वितीय बैंच द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 12.02.2020 के पश्चात् उक्त ग्राम के नाप भूमि (विवादित भाग) में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। शेष भाग जिसमें वन भूमि प्रभावित होती है, में मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मोटर मार्ग के कि0मी0 के 0.00 से 2.00 व 5 से 10 में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कि0मी0 3 व 4 में कार्य प्रगति पर है। इस विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है।"

अधिशासी अभियंता द्वारा प्रेषित आख्या तर्क संगत है।

3— जमीनीपार वन पंचायत, प्रबंधन समिति से उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सहमति नहीं ली गयी थी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वन पंचायत की भूमि का स्वामित्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार एवं राजस्व विभाग का है। वन पंचायत प्रबंधन समिति के पास स्वामित्व नहीं होता तथा उसका गठन सिर्फ जन सहभागिता के साथ प्रबंधन करने के उद्देश्य से किया जाता है। जमीनीपार वन पंचायत का स्वामित्व अथवा प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग के पास नहीं है।

लो0नि0वि0 से प्राप्त आख्यानुसार उक्त मोटर मार्ग के 10 किमी लम्बाई में प्रभावित होने वाली 7.29 है0 वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 जी0आई0 2338/7—1—7—12010—600(2805)/2008 दिनांक 31.08.2010 द्वारा प्राप्त है। (संलग्नक—1)

4— परियोजना में मलुवा निस्तारण प्रस्तावित **(संलग्नक—2)** है जो कि निम्न प्रकार है—

"1 प्रस्तावित मगरा—उडीमहादेव—सौलापानी—भिकियासैण—गरचूला मोटर मार्ग हेतु निर्माण कार्य से उत्पादित मलुवा कि0मी0 0 से 10 तक के कटान कार्य का कुछ मलुवा वृक्ष विहीन बेनाप भूमि तथा जल विहीन भूमि में डाला जायेगा तथा 20 प्रतिशत मलुवा मार्ग निर्माण के समय मार्ग में पीछे की ओर फैलाकर रोलर से कुटाई कर बिछा दिया जायेगा।

2. मार्ग में प्रति कि0मी0 4 पासिंग प्लेस बनाये जाने है जिस हेतु मार्ग निर्माण से प्राप्त 15 प्रतिशत मलुवा भरकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ायी जायेगी।
3. मार्ग में 15 प्रतिशत मलुवा जो पत्थर और बोल्डर के रूप में प्राप्त होगा उसको दीवारों रकपटों पुलियों तथा दीवारों के पीछे भरान हेतु प्रयोग किया जायेगा।

निरीक्षण दौरान पाया गया कि निर्माणाधीन मोटर मार्ग में मक डिस्पोजल हेतु डम्पिंग जोन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार वर्तमान में मक डिस्पोजल निस्तारण हेतु कलुवाखेत नामक तोक जमीनीपार में भूमि का चयन कर चिन्हित किया गया है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त मार्ग में कुल 7.297 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है **(संलग्नक—3)** जो कि बेनाप और वन पंचायत भूमि है तथा पूर्ण स्वामित्व व प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग के पास है। मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है।

5— शिकायतकर्ता के अनुसार जमीनीपार के कुल 0.125 है0 कृषि भूमि ठेकेदार द्वारा माह फरवरी के मध्य में मार्ग निर्माण हेतु जबरन काटा गया जबकि लो0नि0वि0 से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम जमीनीपार व जमीनीवार में कुल कृषि भूमि (बंजर) 0.125 है0 भूमि प्रभावित होती है तथा प्रभावित भूमि का मुआवजा लिये जाने हेतु लिखित रूप से पत्रांक 101/27—6 दिनांक 14.01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया एवं दिनांक 02.02.2020 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के माध्यम से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई व पुनः उनके पत्रांक 325/18—सी दिनांक 10.02.2020 द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। किन्तु काश्तकारो द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश 10.01.2020 **(संलग्नक—4)** में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के विवादित भाग में निर्माण कार्य किया गया।

मलुवा निस्तारण के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 04 के अनुसार।

6— शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12—02—2020 में दिये गये आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत के पत्रांक मैमो/रानीखेत, दिनांक 14.03.2020 एवं पत्रांक 554/1सी0 दिनांक 17—03—2020 से प्राप्त आख्या **(संलग्नक—3)** निम्न प्रकार है:—

I- मगारा—रतोमहादेव—सैलापानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या जी0आई0 2338/7—1—2010—600 (2905)/08 दिनांक 31—08—2010 द्वारा 7.297 है0 भूमि हेतु प्राप्त है। शेष ग्राम जमीनीपार, जमीनीवार की नाप भूमि प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर लिये गये है। ग्रामवासियों को प्रभावित भूमि का मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक 14—01—2020 द्वारा पत्र लिखा गया एवं दिनांक 02—02—2020 के अमर उजाला संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गयी। पुनः उनके कार्यालय के पत्रांक 325/18सी0 दिनांक 10—02—2020 द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया किन्तु काश्तकारों द्वारा अभी तक आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

उत्तराखण्ड पंचायत नियमावली, 2005 के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 03 के अनुसार।

II- बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

III- बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

IV- शासनादेश संख्या 299/लो0नि0—2/04—16 (प्रा0आ0)/4 दिनांक 28—02—2004 द्वारा 10 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। समरेखन प्रस्ताव में ग्रामवासियों की सहमति पत्र संलग्न है किन्तु ग्राम जमीनीपार की अनापत्ति मूल प्रस्ताव में उपलब्ध नहीं है।

V- बिन्दु संख्या 03 और बिन्दु संख्या 05 के अनुसार

VI- बिन्दु संख्या 02 के अनुसार

VII- उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम जमीनीपार व जमीनीवार की बंजर भूमि (नाप भूमि) प्रभावित हो रही है। जो न्यून है। मार्ग का निर्माण जनहित में किया जाना आवश्यक है क्योंकि ग्रामवासियों को मुआवजा लिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 101/27सी0 दिनांक 14—01—2020 **(संलग्नक—5)** द्वारा पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु अवगत किया गया एवं दिनांक 02—02—2020 के अमर उजाला संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गयी **(संलग्नक—6)** तथा पुनः कार्यालय पत्रांक 325/18सी0 दिनांक 10—02—2020

(संलग्नक–7) द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे स्पष्ट होता है कि प्रभावित काश्तकार मुआवजा लेने के इच्छुक नहीं है।

7- शिकायतकर्ता के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 12–02–2020 के आदेश के बाद भी दिनांक 22–02–2020 को लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण हेतु कृषि भूमि की कटिंग की गयी जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त आख्यानुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10–01–2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर मार्ग निर्माण हेतु कटिंग किया गया जो जनहित में किया जाना नितान्त आवश्यक था।

8– शिकायतकर्ता द्वारा बिन्दु संख्या 8 में उठाये गये प्रश्नों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आख्या दी गयी है कि पूर्व प्रधान जमीनीपार का अनापत्ति (संलग्नक–8) दिये जाने के बाद ही मार्ग निर्माण के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही की गयी है किन्तु पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा यह अवगत कराया कि उनके द्वारा किसी भी ऐसी अनापत्ति पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। (संलग्नक–9)

9– बिन्दु संख्या 03 और बिन्दु संख्या 05 के अनुसार।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वन भूमि हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही उपरांत एवं स्वीकृति के बाद ही किया गया है। अभिलेखीय पुष्टि एवं स्थलीय निरीक्षण के उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं से सहमति व्यक्त की जाती है।

संलग्न–कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से प्राप्त उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित विभिन्न पत्र व मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पारित निर्णय दिनांक 12.02.2020 की प्रति।

भवदीय,
Mahat
(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक ____ / ____ दिनांकित

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Mahatim
(महातिम यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

संख्या: 2335/7-1-2010-600(2905)/2006

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग — देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2010

विषय— जनपद–अल्मोड़ा में गगास–चड़ीमहादेव–सैलापानी–भिकियासैंण–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.297 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 408/जी–2529 (अ0) दिनांक 30–08–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–अल्मोड़ा में गगास–चड़ीमहादेव–सैलापानी–भिकियासैंण–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.297 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी/03/385/2008/एफ.सी./606 दिनांक 25–08–2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 14.594 हे0 कुड़कोली अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–177/2010–एफ0सी0 दिनांक 3–8–2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 6-7-2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक भूमि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के संगत प्राविधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार उक्त भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसका किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उनके व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि ऐसा

[illegible] उपयोगकर्ता एजेन्सी [illegible] प्रमाण [illegible] होगा, प्रयोक्ता [illegible]

[illegible] भूमि प्रयोक्ता [illegible] प्रयोजन हेतु [illegible] की आवश्यकता न [illegible] के लिए आवश्यकता न रहे, पुनः विभाग [illegible]

7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय वन में आवश्यक समझा, हस्तान्तरित [illegible] भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर [illegible] स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उनका पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा [illegible] की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का [illegible] अनुपालन किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित [illegible] के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के [illegible] क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/मिट्टी तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के [illegible] किया जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।

18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान [illegible] मलबे को [illegible] के [illegible] निस्तारित नहीं किया जायेगा। [illegible] मलबे के [illegible] निस्तारण हेतु [illegible] स्थलों को [illegible] चिन्हित स्थलों पर ही मलबे का निस्तारण किया जायेगा। [illegible] के [illegible] एवं [illegible] के माध्यम से [illegible] वन विभाग द्वारा एक [illegible] तैयार की जायेगी [illegible] विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर [illegible] किया जायेगा। [illegible] नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास [illegible] द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 108/26/प्र०स०-आ०ए०अ०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०ए०अ०वि० दि० 4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

[illegible]

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

(संलग्नक-2)

परियोजना का नाम:— गगास - उड़ीमहादेव - शैलापानी - भिकियासैण भरसूला मोटर मार्ग 10 कि0मी0 7.297 है।

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की योजना

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित गगास-उड़ीमहादेव-शैलापानी भिकियासैण-भरसूला मोटर मार्ग हेतु निर्माण कार्य से उत्पादित मलुवा किमी 0 से 10 तक के कटान कार्य का कुल मुलवा वृक्षविहिन बेनाप भूमि एवं जलविहिन भूमि में डाला जायेगा। तथा 20 प्रतिशत मलुवा मार्ग निर्माण के समय मार्ग में पिछे की ओर फैलाकर रोलर से कुटाई कर बिछा दिया जायेगा,

(2) मार्ग में प्रति कि0मी0 4 पासिंग प्लेस बनाये जाने है। जिस हेतु मार्ग निर्माण से प्राप्त 15 प्रतिशत मलुवा भरकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जायेगी,

(3) मार्ग में 15 प्रतिशत मलुवा जो पत्थर व बोल्डर के रूप में प्राप्त होगा उसको दीवारो, स्कपरों, पुलियों तथा दीवारों के पीछे भरान हेतु प्रयोग किया जायेगा

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत

लैन्ड शेड्यूल

परियोजना का नाम:– गगास - उडीमहादेव - शैलापानी - भिकियासैण मरचूला मोटर मार्ग 10 कि.मी. 7.297 है.

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकबा	याचित क्षेत्रफल (हे0)
अल्मोड़ा	द्वाराहाट/भिकियासैण	द्वाराहाट/भिकियासैण	15,16,17,26,47 48, 54, 64, 66, 117, 118, 123, 127, 100, 167, 172, 197	364 नाली 13 मुट्ठी	7.297 है.

अमीन
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रति हस्ताक्षरित

पटवारी
सिरौली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी,
भिकियासैण (उत्तराखण्ड)

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

19-3-020

संलग्नक -4

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition (M/S) No.3626 of 2019

Hema Devi & others ....Petitioners

Versus

State of Uttarakhand & others ....Respondents

Present:- Mr. Ghanshyam Joshi, Advocate for the petitioners.
Mr. K.S. Pandir, Deputy Advocate General, for the State/respondent Nos.1 to 9.

Hon'ble Sudhanshu Dhulia, J.

The petitioners before this Court had challenged the construction of Gagas- Reethamahadev Selapani Road, which is in District Almora.

2. The contention of the petitioners before this Court is that they have earlier fought a long battle in their demand for construction of a road, which was ultimately sanctioned and constructed. Now the present road, which is being constructed takes away 200 meters of their land, for which no land acquisition proceedings have been initiated by the respondent authorities.

3. Evidently for a construction of the present road as well there is a long demand of villagers and though the present road i.e. Gagas- Reethamahadev- Selepani Road does not connect the village of the petitioners but it does connect many other villages. As far compensation is concerned the same has been determined on the basis of mutual agreement between most of the other villagers and the State.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND

10910

29-1-639

19-3-020

4. This Court vide order dated 06.01.2020 has appointed Sri Devesh Upreti, who is a practicing lawyer of this Court, as Court Commissioner, to examine whether the road in question broadly serves the public purpose, as was the case of the State authorities.

5. In compliance of this Court's order dated 06.01.2020, the Court Commissioner has submitted his report dated 10.01.2020.

6. Perused the report dated 10.01.2020. In view of this Court, it is a well considered report. As per the report, the road is required in the public interest. Even for the 200 meters land, which is a barren land, in any case, the petitioners are liable to get compensation in accordance with law, for which the petitioners may make a request to the authority concerned. The relevant portion of the report dated 10.01.2020 reads as under:-

> "As per the information given to me if this patch of about 2 and half kilometers is constructed not only the people residing surrounding in the disputed shall be benefited but also the public in large shall be benefited. The officials of PWD also informed that if the road in dispute (Gagas-Reetha Mahadev-Selapani) is constructed it will reduce the financial burden on the State as well.
>
> After visiting the place I was informed that the residents of villages Reetha Mahadev, Udali, Kheeriya are still living a very hard and very backward life due to non construction of the Gagas-Reetha Mahadev-Selapani Road.
>
> The inspection was made in presence of the about 25 persons in which the petitioners no.2 & 3 were also present from Banghat to Kalikhet. The petitioners acknowledged that the inspection was made in their presence.

The acknowledgement letter is enclosed with this report."

This Court has also been informed by the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ranikhet, Almora that a link road connecting the village of the petitioners to the road has already been sanctioned and matter will be pursued and the road will be constructed in due course. For this approval has already been made and the land has been acquired as per the mutual negotiations.

5. In view of the above position, there can be no occasion to stop the construction of the motor road as demanded by the present petitioners, since the motor road is in public interest. The writ petition stands dismissed.

Sd/-
(Sudhanshu Dhulia, J.)
10.01.2020

Naresh/

Compared by

PHOTOSTAT
TRUE COPY
24/1/20

Assistant Registrar (Copying)
High Court of Uttarakhand
Nainital

15

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 3626 OF 2015 (M/S)

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT: ALMORA

1. Hema Devi (Female), aged about 38 years, W/o Sri Gopal Dutt (Present Gram Pradhan of village Zaminipar)
2. Kaustubh Kumar Singh Rawat (Male), Aged about 59 years, S/o late Sri Jeewan Singh Rawat, (present surpanch of vanpanchayat and Ex-Gram Pradhan of village Zaminipar)
3. Kalyan Singh Bisht (Male), Aged about 60 years, S/o late Sri Dalip Singh,

All are R/o village Zaminipar, P.O. Irha Barakham, Tehsil Dwarahat, District - Almora.

.... Petitioners

Versus

1. State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.
2. Chief Secretary Public Work Department Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. District Magistrate, Almora, District Almora.
4. Sub District Magistrate, Dwarahat, District Almora.
5. Chief Engineer, Planning- A Group, PWD, Dehradun, Uttarakhand.
6. Chief Engineer, Kumaon Area, PWD Almora, District Almora.
7. Executive Engineer, Construction Division, PWD Ranikhet, Almora.
8. Special Land Acquisition Officer, Almora.
9. District Forest Officer Almora.

.... Respondents

To,

The Hon'ble the Chief Justice and his other companion Judges of the aforesaid court.

The humble petition of the above named Petitioners Most respectfully showeth as under:

1. That this is the first writ petition being filed by the petitioners before this Hon'ble Court for present cause of action and no any other writ petition has been filed by the petitioners before this Hon'ble Court for the same.

2. That the petitioners are permanent resident of village Zaminipar, Irha Barakham, Tehsil Dwarahat, District – Almora, their village is in very interior area of Uttarakand State, village Zaminipar is situated near about four Km. away from the main road head and is very away from modern

Name of Advocate:- C.S.C.
Copying fee Rs .36/-

Date on which application is made for copy accompanied by the requisite stamp	Date of the posting notice on notice board	Date of delivery of copy	Signature of Officer delivery copy
100 / 13/11/2020	20/11/2020	22-1-2020	22-1-2020

Sealed in My Presence

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल edpwdrl.1@gmail.com

पत्रांक 101 /27सी. दिनांक,रानीखेत, 10-1-2020

सेवा में,

ग्राम प्रधान,
ग्राम सभा जमीनीपार/जमीनीपार,
पो0-ईड़ा (बाराखाव)
जिला-अल्मोड़ा।

विषय :- मगास-उड़ीनहादेव-शैलापानी-भिकियासैंन-मरचूला मोटर मार्ग के नाप भूमि प्रतिकर प्राप्त करने सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक क्रम में आपको अवगत कराना है कि मा0उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन स0 3626/एम0एस0/2019 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के नाप भूमि प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा गठित कर लिये गये हैं। मुआवजा वितरित करने से पूर्व प्रभावित काश्तकारों द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही नाप भूमि के प्रतिकर के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूची संलग्न है :-

1 प्रभावित भू. नम्बरों की वर्तमान कम्प्यूटराईज खतौनी।
2 पट्टी पटवारी द्वारा भू. नम्बरों का कब्जा सत्यापन प्रमाण पत्र।
3 प्रभावित काश्तकार का पैन कार्ड।
4 प्रभावित काश्तकार का आधार कार्ड।
5 प्रभावित काश्तकार की दो फोटो प्रतियां।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से प्रभावित काश्तकारों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- सूची

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 101 /27सी. तद्दिनांकित

प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, द्वाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

दैनिक - 6

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड के घघरा-उड़ामाण्डिक-भिकियासैंण-मरचूला मोटर मार्ग के ग्राम कर्णीनीपार के अन्तर्गत पान सिंह आदि पुत्र देव सिंह इत्यादि, नवलकिशोर आदि पुत्र नारी राम इत्यादि, भवानी राम आदि पुत्र [illegible], गौरी राम पुत्र गुमानीराम [illegible] के स्वर्गीय श्री ख्यालीराम आदि पुत्र नन्द राम नाप भूमि के प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा तैयार कर दिये गये हैं। जिनका आपसी समझौते द्वारा प्रतिकर भुगतान निर्धारित किया जाना है। प्रभावित काश्तकारों को सूचित किया जाता है कि अपने साथ दो पास पोर्ट साईज फोटो, फोटो पहचान पत्र, कम्प्यूटर खतौनी, सहखातेदारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एक शपथ पत्र (₹ 10.00 के स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो) लाना है।

नोट:- उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के दूरभाष संख्या 05966-220035 पर एवं किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में आकर उपरोक्त की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

11331

19

प्राप्त
19-3-20

संलग्नक-7.

सि0 ... 6

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल [illegible]

पत्रांक 325/18सी. दिनांक, रानीखेत, 10-3-2020

सेवा में,

[illegible]
ग्राम-[illegible]
पो0-ईड़ा([illegible])
जिला-अल्मोड़ा।

विषय :- ग्राम [illegible] मोटर मार्ग के बाधित भूमि प्रतिकर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक [illegible].01.2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन सं0 3626/एम0एस0/2019 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के नाप भूमि प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा गठित कर लिये गये है। मुआवजा वितरित करने से पूर्व उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया था। मुआवजा प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02.02.2020 को दैनिक अमर उजाला में भी विज्ञप्ति दी गयी थी, परन्तु किसी भी काश्तकार द्वारा वर्तमान तक कोई भी आवश्यक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मुआवजा प्राप्त किये जाने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, उसके पश्चात ही मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

1. प्रभावित भू0 नम्बरों की वर्तमान कम्प्यूटराईज खतौनी।
2. पटटी पटवारी द्वारा भू0 नम्बरों का कब्जा सत्यापन प्रमाण पत्र।
3. प्रभावित काश्तकार का पैन कार्ड।
4. प्रभावित काश्तकार का आधार कार्ड।
5. प्रभावित काश्तकार की दो फोटो प्रतियां।

संलग्नः- सूची।

(कार्यालय ... प्राप्ति ...
डायरी नं0 10913
... 12-1-20
दिनांक 19-3-2020
... ... कार्य
कार्य ... हरे।)

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 325/18सी तद्दिनांकित
प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, द्वाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0,

20

संलग्नक - 8

(26)

AHM (PURAM) 6

सेवा में,
अधिशासी अभियन्ता महोदय
लोक निर्माण विभाग रानीखेत,

विषय: [illegible] आपकी माया रौठाम होकर मोटर मार्ग के [illegible]

महोदय,

सादर [illegible] निवेदन इस विषय में है कि उक्त मार्ग को कतिपय लोगों से दूर दराज से खींचने के सम्बन्ध में नीति बनाये उनका की है, ~~जबकि इन मार्गों पर कोई~~ सरोकार नहीं है, श्री जोशी महोदय द्वारा जो सर्वे की [illegible] वह हित के सभी ग्रामवासियों को स्वीकार्य है अतः [illegible] विभाग से मार्ग निर्माण हेतु निवेदन करती है।

अतः महोदय से निवेदन है सर्व हितार्थ मार्ग का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें।

भवदीय
[illegible] [illegible] [illegible]
ग्राम प्रधान

भगवान सिंह [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible]

[illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible] (अल्मोड़ा)

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible]

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible] (अल्मोड़ा)

[illegible]

109 [illegible]
12-1-(2)
दिनांक: 19-3-020

[illegible]
[illegible]

संलग्नक- 9.

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
वन प्रभाग अल्मोड़ा.

महोदय,

मैं कौस्तुभ कुमार सिंह रावत पुत्र स्व० श्री जीवन सिंह रावत निवासी ग्राम जमीनी पार पो० ईड़ा बारारखाम तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) जो कि पूर्व में वर्ष 2003 से 2008 एवं वर्ष 14 से 2019 तक ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जमीनी पार के पद पर रहा प्रधान पद में मेरे हस्ताक्षर निम्न हैं, मैंने केवल हस्ताक्षर कर किसी विभाग को कोई अनापत्ति नहीं दी. न ही ग्राम की वन पंचायत एवं भू स्वामियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनापत्ति दी गई, नहीं वर्ष 2003 से आज तक लो० नि० वि० द्वारा अनापत्ति मांगी गई।

प्रार्थी (हस्ताक्षर)

दिनांक
09-10-2020

(हस्ताक्षर)
कौस्तुभ कुमार सिंह रावत
ग्राम जमीनी पार.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-220035
Fax No. – 05966-220035
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक मै०/ /रानीखेत दिनांक, रानीखेत / /2020

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय– गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी–भिकियासैंण–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:– आपका पत्रांक 3824/12-1 दिनांक 7.3.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र जो दिनांक 13.3.2020 को व्हाटसएप्प सन्देश के माध्यम से प्राप्त हुआ के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:–

बिन्दु सं0–1:– शिकायतकर्ता के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई की रोड को लिंक रोड से जोड़ दिया जाय। जमीनीपार की जनता के अनुसार गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी भिकियासैंन मरचूला मोटर मार्ग से जमीनीपार को जोड़ा जाय। ग्राम जमीनीपार को पी0एम0जी0एस0वाई की ईडा से जमीनीपार मोटर मार्ग से जोड़ा गया है इस मार्ग के अन्तिम बिन्दु से गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी भिक्यासैंन मरचूला मोटर मार्ग में मिलान किया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु सं0–2:– उक्त मोटर मार्ग का निर्माण सर्वे व स्वीकृति के अनुसार ही किया जा रहा है। इसमें खनोलिया, सैंरिया, उडली, खरगोली, अमोली, सिंगोली, बौली, चापड़, ग्राम लाभान्वित हो रहे है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से भिकियासैंन से द्वाराहाट, रानीखेत अल्मोड़ा की दूरी लगभग 18 कि0मी0 कम हो जायेगी। इस मार्ग का विस्तार भिकियासैंन से मरचूला तक है। इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा किया जा रहा है जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु सं–3:– उक्त मोटर मार्ग के 10 कि0मी0 लम्बाई मे प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 जी0आई 2338/7-1-2010-600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा 7.297 हे0 भूमि हेतु प्राप्त है। प्रति संलग्न

बिन्दु सं04:– उक्त मोटर मार्ग के प्राविधिक स्वीकृति में मलुवा निस्तारण की योजना प्रस्तावित नही है वर्तमान में डम्पिंग जोन कलुवाखेत तोक जमीनीपार में प्रस्तावित किया गया है उक्त मोटर मार्ग में भूमि 12 मी0 चौड़ाई में अधिग्रहित की गई है।

बिन्दु सं0–5:– उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीपार व जमीनीवार मे कुल कृषि भूमि(बंजर) 0.125 हे0 भूमि प्रभावित होती है प्रभावित भूमि का मुआवजा लिए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक 14.01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु अवगत किया गया एवं दिनांक 02.02.2020 के अमर

उजाला संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 325/18 सी0 दिनांक 10.02.2020 द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर के विवादित भाग में निर्माण कार्य किया गया है। प्रति संलग्न

बिन्दु सं0-6:- उक्त मोटर मार्ग के प्राविधिक स्वीकृति में मलुवा निस्तारण की योजना प्रस्तावित नही है वर्तमान में डम्पिंग जोन कलुवाखेत तोक जमीनीपार में प्रताविल किया गया है उक्त मोटर मार्ग में भूमि 12 मी0 चौड़ाई में उक्त मोटर मार्ग के प्राविधिक स्वीकृति में मलुवा निस्तारण की योजना प्रस्तावित नही है वर्तमान में डम्पिंग जोन कलुवाखेत तोक जमीनीपार में प्रताविल किया गया है उक्त मोटर मार्ग में भूमि 12 मी0 चौड़ाई में अधिग्रिहित की गई है अधिग्रिहित भूमि से अन्यत्र गिरने पर मलुवे को डम्पिंग जोन में डाला जायेगा।

बिन्दु सं0-7:- गगास-उड़ीमहादेव-शैलापानी-भिकियासैन-मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 299/लो0नि0-2/04-16(प्रा0आ0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। स्वीकृति के अनुसार मार्ग निर्माण कार्य किया जा रहा है।

बिन्दु सं0-8:- अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध है। पूर्व प्रधान जमीनीपार का अनापत्ति दिये जाने के बाद ही मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कि गई है। प्रति संलग्न

बिन्दु सं0-9:- गगास-उड़ीमहादेव-शैलापानी-भिकियासैन-मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 299/लो0नि0-2/04-16(प्रा0आ0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 जी0आई 2338/7-1-2010-600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा 7.297 हे0 भूमि हेतु प्राप्त है। मा0 उच्च न्यायलय नैनीताल द्वारा नियुक्त कोर्ट आयुक्त द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग के समरेखन का निरीक्षण किया गया था उसके पश्चात मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीवार व जमीनीपार के ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक 14.01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 02.02.2020 के अमर उजाला संसकरण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 325/18 सी0 दिनांक 10.02.2020 द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है। प्रति संलग्न

बिन्दु सं0-10:- बिन्दु सं0-9 के अनुसार।

भवदीय,

18/03/2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-220035
Fax No. – 05966-220035
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnet.pwduk@gov.in

पत्रांक 544/ 1सी0 दिनांक, रानीखेत, 07-03-2020

सेवा में

वनक्षेत्राधिकारी,
द्वाराहाट

विषय– गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी–भिकियासैन–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि गगास–उड़ीमहादेव–शैलापानी–भिकियासैन–मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 299/लो0नि0–2/04–16(प्रा0आ0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 जी0आई 2338/7–1–2010–600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा 7.297 है0 भूमि हेतु प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग के प्रथम 2.00 किमी0 में वर्ष 2013 एवं किमी0 5.00 से 10.00 में वर्ष 2019 में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किमी0 3.0 में लगभग 200 मीटर में ग्राम जमीनीपार की नाप भूमि प्रभावित हुई थी। जिसके अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किये गये थे। परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्ताव गठित करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस कर दिया गया। ग्राम जमीनीपार द्वारा नाप भूमि में आपत्ति दर्ज की जा रही थी। वार्ता करने पर ग्राम जमीनीपार द्वारा मांग की गयी थी कि जमीनीपार में निर्मित पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग को कोलूखेत होते हुए रीठामहादेव तक मिलान किया जाय। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग के अन्तिम बिन्दु जमीनीपार से आगे रीठामहादेव तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 275/III(2)/19–48(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22.01.2019 लागत रु0 22.29 लाख लम्बाई 4.00 किमी0 प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। उपरोक्त स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त विषयक मोटर मार्ग की निविदा आमंत्रित की गयी। उक्त मार्ग में जमीनीपार के अतिरिक्त अन्य ग्राम जमीनीपार, खैरिया, उड़ीमहादेव, खनोलिया, चापड़, सिंगोली, अमोली, बोली, उड़ोली आदि ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से भिकियासैन से रानीखेत/द्वाराहाट की दूरी कम हो जायेगी एवं उक्त मार्ग मरचूला से धारचूला मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु गगास उड़ीमहादेव शैलापानी भिकियासैन मरचूला मोटर मार्ग का मुख्य भाग है। उक्त भाग में मार्ग निर्माण न होने से उक्त महत्वकांक्षी योजना पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसका निर्माण जनहित में किया जाना अनिवार्य है। उक्त मार्ग निर्माण शीघ्र न होने की दशा में खैरिया, उड़ीमहादेव, खनोलिया आदि ग्रामवासियों द्वारा आन्दोलन की धमकी दी गयी है एवं शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में आमरण अनशन पर दिनांक 19.11.2019 से धरने पर बैठने हेतु अवगत कराया गया है। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जनहित में उक्त मार्ग किमी0 3. व 4. की निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा प्राप्त होने के पश्चात् ग्रामवासियों द्वारा पुनः नाप भूमि में विवाद किया गया और मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दायर किया गया।

कमशः पेज–2 पर

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीवार व जमीनीपार के ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 14.01.2020 को पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 02.02.2020 के अमर उजाला संकरण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति की जारी की गयी। परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जमा न किये जाने के कारण उक्त मार्ग के किमी0 3 व 4 का निर्माण कार्य किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 के आदेश को द्वितीय बैंच में चुनौती दी गयी। द्वितीय बैंच द्वारा दिनांक 12.02.2020 को दिये गये निर्णय से पूर्व उक्त ग्राम जमीनीपार के नाप भूमि में मार्ग का निर्माण कार्य कर लिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वितीय बैंच द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 12.02.2020 के पश्चात् उक्त ग्राम के नाप भूमि/ (विवादित भाग) में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। शेष भाग जिसमें वन भूमि प्रभावित होती है, में मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मोटर मार्ग के किमी0 के 0.00 से 2.00 व 5 से 10 में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किमी0 3 व 4 में कार्य प्रगति पर है। इस विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

[signature] .../03/2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. 05966-220035
Fax No. 05966-220035
Email ID: [illegible]
Email ID: [illegible]

पत्रांक [illegible] / [illegible] दिनांक, रानीखेत, [illegible]/[illegible]/202[illegible]

सेवा में,

जिलाधिकारी [illegible]
[illegible] एवं प्रभारी अल्मोड़ा।

विषय:- [illegible]-[illegible]महादेव-[illegible]पानी-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 3[illegible]/12-1 दिनांक [illegible].3.2020।

महोदय,

आपका [illegible] सन्दर्भित पत्र के [illegible] [illegible] माननीय [illegible] के [illegible] से प्राप्त हुआ के क्रम में [illegible] आख्या [illegible] है:-

बिन्दु सं0-1:- [illegible] के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 [illegible] को लिंक रोड से जोड़ दिया जाय। [illegible] की जनता के अनुसार [illegible]-[illegible]महादेव-[illegible]पानी [illegible] मोटर मार्ग से [illegible] को जोड़ा जाय। [illegible] की पी0एम0जी0एस0वाई0 [illegible] मोटर मार्ग से जोड़ा गया है इस मार्ग का [illegible] [illegible]-[illegible]-[illegible]पानी [illegible] मोटर मार्ग से [illegible] किया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु सं0-2:- उक्त मोटर मार्ग का निर्माण शर्तें व स्वीकृति के अनुसार ही किया जा रहा है। इसमें [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं। इस मार्ग [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible], [illegible] [illegible] की दूरी [illegible] [illegible] कम हो जायेगी। इस मार्ग का विस्तार [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] मार्ग का निर्माण कार्य प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, [illegible] द्वारा किया जा रहा है जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु सं-3:- उक्त मोटर मार्ग के 10 कि0मी0 लम्बाई के [illegible] [illegible] वन भूमि की स्वीकृति [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-7-1-2010-00(...)/08 दिनांक [illegible].01.2010 [illegible] [illegible] है [illegible] हेतु प्राप्त है। प्रति संलग्न।

बिन्दु सं04:- उक्त मोटर मार्ग की प्रशासनिक स्वीकृति में [illegible] [illegible] का [illegible] प्रस्तावित नहीं है वर्तमान में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को प्रस्तावित किया गया है उक्त मोटर मार्ग में भूमि 1[illegible] मी0 [illegible] की [illegible] की गई है।

बिन्दु सं0 5:- उक्त मोटर मार्ग के [illegible] [illegible] व [illegible] से [illegible] भूमि [illegible] [illegible] [illegible] भूमि प्रभावित होती है प्रभावित भूमि का [illegible] [illegible] [illegible] हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 101/27 [illegible] दिनांक 14.01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया पूर्व [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु [illegible] [illegible] की [illegible] पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 325 [illegible] सी० दिनांक 10.02.2020 [illegible] [illegible] को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु [illegible] [illegible] काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। [illegible] न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उक्त [illegible] के [illegible] भाग में निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रति संलग्न।

बिन्दु सं0-6:- उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भिक स्वीकृति में वनभूमि हस्तान्तरण की योजना प्रस्तावित नहीं है वर्तमान में [illegible] और [illegible] [illegible] जमीदार [illegible] से प्रभावित किया गया है उक्त मोटर मार्ग की भूमि 12 मी० चौड़ाई में उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भिक स्वीकृति में वनभूमि हस्तान्तरण की योजना प्रस्तावित नहीं है वर्तमान में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जमीदार से प्रभावित किया गया है उक्त मोटर मार्ग की भूमि 12 मी० चौड़ाई में [illegible] [illegible] है अधिग्रहित भूमि से अलग मिलने पर [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] जायेगा।

बिन्दु सं0-7:- [illegible]-उडीमहादेव-[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 299/लो0नि0-2-04-16(प्रा0)/04 दिनांक 26.02.2004 द्वारा 10 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। स्वीकृति के अनुसार मार्ग निर्माण कार्य किया जा रहा है।

बिन्दु सं0-8:- अवलोकित प्रमाण पत्र [illegible] है। पूर्व प्रधान जमींदार का [illegible] दिये जाने के बाद ही मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कि गई है। प्रति संलग्न।

बिन्दु सं0-9:- [illegible]-उडीमहादेव-[illegible]-[illegible]-[illegible] मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 299/लो0नि0-2-04-16(प्रा0)/04 दिनांक 26.02.2004 द्वारा 10 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 [illegible] 2588 7-1-2010-600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा 7.297 है0 भूमि हेतु प्राप्त है। मा0 उक्त न्यायालय [illegible] द्वारा नियुक्त [illegible] आयुक्त द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग के [illegible] का निरीक्षण किया गया है। उसके पश्चात मा0 उक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीदार व जमींदार के ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक 14.01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया एवं [illegible] [illegible] से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक [illegible] 02.2020 के अमर उजाला संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने [illegible] [illegible] विज्ञप्ति जारी की गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 325 [illegible] दिनांक 10.02.2020 द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के [illegible] आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है। प्रति संलग्न।

बिन्दु सं0-10:- बिन्दु सं0-9 के अनुसार।

भवदीय,

(ह0) [illegible]

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 [illegible]

[illegible]।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph No.- 05966-220035
Fax No.- 05966-220035
Email ID: [illegible]
Email ID: [illegible]

पत्रांक 554 / [illegible] दिनांक, रानीखेत, [illegible]

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय:- [illegible]-[illegible]-शैलापानी-[illegible]-मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 17.3.2020 का [illegible] के [illegible] से प्राप्त हुआ के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

बिन्दु सं0-6(1):- [illegible]-[illegible]-शैलापानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शासनादेश सं0 [illegible] [illegible]/7-1-2010-600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 [illegible] [illegible] हेतु प्राप्त है शेष ग्राम [illegible], [illegible] की [illegible] भूमि [illegible] इस कार्यालय द्वारा तैयार कर लिये गये हैं। [illegible] का मुआवजा [illegible] दिये जाने हेतु प्रभावित भूमि का मुआवजा लिए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक [illegible].01.2020 द्वारा पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु अवगत किया गया एवं दिनांक 02.02.2020 के अखबार [illegible] संस्करण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गयी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 325/18 सी0 दिनांक 10.02.2020 द्वारा [illegible] को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु अभी भी [illegible] द्वारा [illegible] प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

बिन्दु सं0-2:- उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 [illegible] [illegible]-2/04-16(प्र03न0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग के निर्माण से ग्राम [illegible], [illegible], [illegible], खरकोली, अमोली, सिमोली, [illegible], [illegible], ग्राम [illegible] को [illegible] है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से बिल्किलेश्वर से [illegible], रानीखेत [illegible] की दूरी लगभग 10 कि0मी0 कम हो जायेगी। इस मार्ग का [illegible] बिल्किलेश्वर से मरचूला तक है। इस मार्ग का निर्माण [illegible] [illegible], लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा किया जा रहा है जिसकी [illegible] प्रगति पर है।

बिन्दु सं-3:- उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति के अतिरिक्त ग्राम [illegible] को इस मार्ग से जोड़े जाने हेतु [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग के [illegible] की स्वीकृति प्राप्त है। जिसका सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु सं04:- स्वीकृति शासनादेश सं0 299/ लो0नि0-2/04-16 (प्र03न0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 कि0मी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। [illegible] प्रस्ताव में सभी ग्रामवासियों की सहमति का पत्र संलग्न है।

[illegible] के अनुसार।

[illegible] के अनुसार।

[illegible] मार्गों के निर्माण से प्राप्त अभिलेखानुसार [illegible] प्रभावित हो रहे हैं, जो [illegible] है। मार्गों के [illegible] आवश्यक है। क्योंकि आपत्तिकर्ताओं को [illegible] कार्यालय के पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक 14 [illegible] मुआवजा प्राप्त किये [illegible] एवं दिनांक 02.02.2020 के आधार [illegible] जारी की गयी। [illegible] मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गयी। [illegible] पत्रांक 325/18 सी0 दिनांक 10.02.2020 द्वारा [illegible] मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु अभी [illegible] आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे [illegible] मुआवजे होने हेतु इच्छुक नहीं है। इससे [illegible] होता है कि [illegible] निर्माण [illegible] में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
[illegible]

ANNEXURE-2
(Page 1 to 4)

1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

Ph. No. – 05966-220035
Fax No. – 05966-220035

Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwd-uk@gov.in [illegible]

पत्रांक 544/ /लो०   दिनांक, रानीखेत, 07-03-2020

सेवा में

वनक्षेत्राधिकारी,
द्वाराहाट

विषय- गगास–उडीमहादेव–शैलापानी–ङिकियासैन–मरचूला मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि गगास–उडीमहादेव–शैलापानी–ङिकियासैन–मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 299/लो०नि०-2/04-16(प्रा०आ०)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 किमी० लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं० जी०आई० 2338/7-1-2010-606(2965)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा 7.297 है० भूमि हेतु प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग के प्रथम 2.00 किमी० में वर्ष 2013 एवं किमी० 5.00 से 10.00 में वर्ष 2019 में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किमी० 3.0 में लगभग 200 मीटर में ग्राम जमीनीपार की नाप भूमि प्रभावित हुई थी। जिसके अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किये गये थे। परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्ताव गठित करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस कर दिया गया। ग्राम जमीनीपार द्वारा नाप भूमि में आपत्ति दर्ज की जा रही थी। वार्ता करने पर ग्राम जमीनीपार द्वारा मांग की गयी थी कि जमीनीपार में निर्मित पी०एम०जी०एस०वाई० मोटर मार्ग को कोलूखेत होते हुए रीठामहादेव तक मिलान किया जाय। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार पी०एम०जी०एस०वाई० मार्ग के अन्तिम बिन्दु जमीनीपार से आगे रीठामहादेव तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 275/III(2)/19-48(एम०एल०ए०)/2017 दिनांक 22.01.2019 लागत रु० 22.29 लाख लम्बाई 4.00 किमी० प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। उपरोक्त स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त विषयक मोटर मार्ग की निविदा आमंत्रित की गयी। उक्त मार्ग में जमीनीपार के अतिरिक्त अन्य ग्राम जमीनीवार, खैरिया, उडीमहादेव, खनोलिया, चापड़, सिमोली, अमोली, बोली, उड़ोली आदि ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ङिकियासैन से रानीखेत/द्वाराहाट की दूरी कम हो जायेगी एवं उक्त मार्ग मरचूला से धारचूला मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु गगास उडीमहादेव शैलापानी ङिकियासैन मरचूला मोटर मार्ग का मुख्य भाग है। उक्त भाग में मार्ग निर्माण न होने से उक्त महत्वकांक्षी योजना पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसका निर्माण जनहित में किया जाना अनिवार्य है। उक्त मार्ग निर्माण शीघ्र न होने की दशा में खैरिया, उडीमहादेव, खनोलिया आदि ग्रामवासियों द्वारा आन्दोलन की धमकी दी गयी है एवं शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में आमरण अनशन पर दिनांक 19.11.2019 से धरने पर बैठने हेतु अवगत कराया गया है। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जनहित में उक्त मार्ग किमी० 3, व 4 की निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा प्राप्त होने के पश्चात ग्रामवासियों द्वारा पुनः नाप भूमि में विवाद किया गया और मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दायर किया गया।

क्रमशः पेज-[illegible] पर

Scanned with CamScanner

 2.

[illegible] के आसपास मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में [illegible] [illegible] [illegible] लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 544 / 1 -सी0, दिनांक 07.03.2020 से [illegible] [illegible] [illegible] जो निम्न प्रकार है-

मजारा-उड़ीमहादेव-शैलापानी-भिकियासैन-मरचूला मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 299 लो0नि0-2-04-16(प्रा0आ0)/4 दिनांक 28.02.2004 द्वारा 10 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन भूमि की स्वीकृति शासनादेश सं0 [illegible] 2338 / 7-1-2010-600(2905)/08 दिनांक 31.08.2010 द्वारा [illegible] 2.07 हे0 भूमि हेतु प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग के प्रथम [illegible] किमी0 में वर्ष 2013 एवं किमी0 5.00 से 10.00 में वर्ष 2019 में पहाड़ कटान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किमी0 3.0 में लगभग 200 मीटर में ग्राम जमीनीपार की नाप भूमि प्रभावित हुई थी। जिसके अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किये गये थे। परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्ताव गठित [illegible] हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को वापस कर दिया गया। ग्राम जमीनीपार द्वारा नाप भूमि में आपत्ति दर्ज की जा रही थी। वार्ता करने पर ग्राम जमीनीपार द्वारा मांग की गयी थी कि जमीनीपार में निर्मित पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग को कोटूखेत होते हुए रीठामहादेव तक मिलान किया जाय। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग के अन्तिम बिन्दु जमीनीपार से आगे रीठामहादेव तक मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं0 275/III(2)/19-48(एम0एल0ए0)/[illegible] दिनांक 22.01.2019 लागत रू0 22.29 लाख लम्बाई 4.00 किमी0 प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। उपरोक्त स्वीकृति के उपरान्त ही उक्त विषयक मोटर मार्ग की निविदा आमंत्रित की गयी। उक्त मार्ग में जमीनीपार के अतिरिक्त अन्य ग्राम जमीनीपार, खैरिया, उड़ीमहादेव, खनोलिया, बापड़, सिंगोली, अमोली, बौली, उड़ोली आदि ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि मोटर मार्ग का निर्माण [illegible] जाने से भिकियासैंण से रानीखेत/द्वाराहाट की दूरी कम हो जायेगी एवं उक्त [illegible] मरचूला से भारचूला मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु मजारा उड़ीमहादेव [illegible] भिकियासैंण मरचूला मोटर मार्ग का मुख्य भाग है। उक्त भाग में [illegible] [illegible] होने से उक्त महत्वकांक्षी योजना पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसका निर्माण [illegible] किया जाना अनिवार्य है। उक्त मार्ग निर्माण शीघ्र न होने की दशा में खैरिया, उड़ीमहादेव, खनोलिया आदि ग्रामवासियों द्वारा आन्दोलन की धमकी दी गयी है एवं शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में आमरण अनशन पर दिनांक [illegible] 11.2019 से धरने पर बैठने हेतु अवगत कराया गया है। ग्राम जमीनीपार की मांग के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जनहित में उक्त मार्ग [illegible] 3 व 4 की निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा प्राप्त होने के पश्चात ग्रामवासियों द्वारा पुनः नाप भूमि में विवाद किया गया और मा0 उच्च न्यायालय [illegible] वाद दायर किया गया।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक [illegible] 2020 में दिये [illegible] निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीपार व [illegible] के ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक [illegible] को [illegible] लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक [illegible] 2020 के अमर उजाला संस्करण में भी मुआवजा [illegible] किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति भी जारी की गयी। परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र

Scanned with CamScanner

जमा न किये जाने के कारण उक्त मार्ग के कि0मी0 3 व 1 का निर्माण कार्य किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 के आदेश को द्वितीय बैंच में चुनौती दी गयी। द्वितीय बैंच द्वारा दिनांक 12.02.2020 को दिये गये निर्णय से पूर्व उक्त ग्राम जमीनीपार के नाप भूमि में मार्ग का निर्माण कार्य कर लिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वितीय बैंच द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 12.02.2020 के पश्चात् उक्त ग्राम के नाप भूमि (विवादित भाग) में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। शेष भाग जिसमें वन भूमि प्रभावित होती है, में मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मोटर मार्ग के कि0मी0 के [illegible] से 2.00 व 5 से 10 में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कि0मी0 3 व 1 में कार्य प्रगति पर है। इस विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है।"

अधिशासी अभियंता द्वारा प्रेषित आख्या तर्क संगत है।

3– जमीनीपार वन पंचायत प्रबंधन समिति से उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सहमति नहीं ली गयी थी। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वन पंचायत की भूमि का स्वामित्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार एवं राजस्व विभाग का है। वन पंचायत प्रबंधन समिति के पास स्वामित्व नहीं होता तथा उसका गठन सिर्फ जन सहभागिता के साथ प्रबंधन करने के उद्देश्य से किया जाता है। जमीनीपार वन पंचायत का स्वामित्व अथवा प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग के पास नहीं है।

लो0नि0वि0 से प्राप्त आख्यानुसार उक्त मोटर मार्ग के 10 किमी लम्बाई में प्रभावित होने वाली 7.29 हे0 वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार के शासनादेश सं0 जी0आई0 2338/7–1–7–1/2010 [illegible] 2010 दिनांक [illegible] 08.2010 द्वारा प्रदान है। (संलग्नक–1)

4– परियोजना में मलुवा निस्तारण प्रस्तावित (संलग्नक–2) है जो कि निम्न प्रकार है–

1 प्रस्तावित ममास–उडीमहादेव–सैंलापानी–भिकियासैण–मरचूला मोटर मार्ग हेतु निर्माण कार्य से उत्पादित मलुवा कि0मी0 0 से 10 तक के कटान कार्य का कुछ मलुवा वृक्ष विहीन [illegible] वृक्ष विहीन भूमि में डाला जायेगा तथा 20 प्रतिशत मलुवा मार्ग निर्माण के समस्त भाग में [illegible] रोलर से कुटाई कर बिछा दिया जायेगा।

2 मार्ग में प्रति कि0मी0 4 पासिंग प्लेस बनाये जाने है जिस हेतु मार्ग निर्माण से [illegible] प्रतिशत मलुवा भरकर मार्ग की चौडाई बढायी जायेगी।

3 मार्ग में 15 प्रतिशत मलुवा जो पत्थर और बोल्डर के रूप में प्राप्त होगा [illegible] रकपटों पुलियों तथा दीवारों के पीछे भरान हेतु प्रयोग किया जायेगा।

निरीक्षण [illegible] पाया गया कि निर्माणाधीन मोटर मार्ग में [illegible] का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार [illegible] मक डिस्पोजल निस्तारण हेतु [illegible] नामक तोक जमीनीपार में भूमि का चयन कर चिन्हित किया गया है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त मार्ग में कुल 7.297 हे0 [illegible] (संलग्नक–3) जो कि बेनाप और वन पंचायत भूमि है तथा पूर्ण स्वामित्व व प्रशासनिक नियंत्रण [illegible] विभाग के पास है। मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है।

Scanned with CamScanner

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीचार व जमीनीपार के ग्रामवासियों को मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 14.01.2020 को पत्र लिखा गया एवं मौखिक रूप से मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 02.02.2020 के अमर उजाला संकरण में भी मुआवजा प्राप्त किये जाने हेतु एक विज्ञप्ति भी जारी की गयी। परन्तु अभी भी काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जमा न किये जाने के कारण उक्त मार्ग के किमी0 3 व 4 का निर्माण कार्य किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2020 के आदेश को द्वितीय बेंच में चुनौती दी गयी। द्वितीय बेंच द्वारा दिनांक 12.02.2020 को दिये गये निर्णय से पूर्व उक्त ग्राम जमीनीपार के नाप भूमि में मार्ग का निर्माण कार्य कर लिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वितीय बेंच द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 12.02.2020 के पश्चात् उक्त ग्राम के नाप भूमि/ (विवादित भाग) में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। शेष भाग जिसमें वन भूमि प्रभावित होती है, में मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मोटर मार्ग के किमी0 के 0.00 से 2.00 व 5 से 10 में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। किमी0 3 व 4 में कार्य प्रगति पर है। इस विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-3
(Page 1 to 2)
1

[illegible] (1)

प्रेषक संख्या [illegible] 2010 [illegible]

प्रेषक,

श्री [illegible] कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2010

विषय — जनपद अल्मोड़ा में नगारा–सड़ीमहादेव–शैलापानी–सिमारसैण–मसचुला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.297 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 406/जी–2529 (30) दिनांक 20–08–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद अल्मोड़ा में नगारा–सड़ीमहादेव–शैलापानी–सिमारसैण–मसचुला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.297 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या [illegible]/383/2008/एफ.सी./606 दिनांक 25–08–2010 से दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :—

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 14.594 हे0 कुअकोली अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर [illegible] के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पौधों की दस वर्ष तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. [illegible] भारत सरकार द्वारा प्रदत्त [illegible] स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि [illegible] के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को [illegible] के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–177/2010–एफ.सी. दिनांक [illegible]–2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 8-7-2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उक्त बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि [illegible] क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को [illegible] के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित कर इसको वैधानिक रूप से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 200[illegible] के [illegible] सम्बन्धित वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा [illegible] किये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार उक्त भूमि को [illegible] की अवधि में आरक्षित वन [illegible] किया जायेगा।
4. [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी [illegible] निर्माण हेतु [illegible] किसी भी [illegible] विभाग [illegible] कार्मिकों [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी [illegible] सम्बन्धित वर्ष की [illegible] की प्रकृति [illegible] वन सम्पदा को [illegible]

Scanned with CamScanner

[illegible]

7. [illegible]
8. [illegible] निर्माण कार्य [illegible]
9. प्रयोक्ता एजेन्सी [illegible] विभाग द्वारा [illegible] प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं [illegible] वर्षों तक [illegible] किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा [illegible] की शर्तों [illegible] अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा [illegible] क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत [illegible] को रसोई गैस/[illegible] आपूर्ति की जायेगी, जिससे लकड़ी [illegible] वनों पर [illegible] किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा [illegible] स्थल/वन क्षेत्र [illegible] का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवमुक्ति वन भूमि के [illegible] आस-पास [illegible] मिट्टी/पत्थर काटने एवं [illegible] का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों [illegible] उत्तराखण्ड वन विकास [illegible] जायेगा और उसका निस्तारण [illegible] जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण [illegible] वृक्षों [illegible] किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा [illegible], क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग [illegible] वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय [illegible] तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (Ad-hoc CAMPA) [illegible] किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण [illegible] निस्तारित नहीं किया जायेगा [illegible] पर चिन्हित स्थलों पर ही [illegible] निस्तारण [illegible] अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम [illegible] विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के [illegible] निस्तारित नहीं किया जा[illegible]।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड [illegible] 20/प्र0स0-आ0/[illegible] दि0 [illegible] 4-1-2001 एवं वित्त विभाग के [illegible] प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

[illegible]

Scanned with CamScanner

ANNEXUR-4

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष [illegible] फैक्स 05962-232182 ई0 मे0 almoraforest[illegible]@rediffmail.com

पत्रांक 2691 / 9-1(3) दिनांक अल्मोड़ा [illegible] 2013

सेवा में

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम नैनीताल।

विषय लौट सं0 159/2010-11 (गगास सैलापानी मोटर मार्ग) का आवंटन निरस्त करने बावत।

संदर्भ इस कार्यालय की पत्र सं0 5226/9-1 (3) दिनांक 30.03.2011

महोदय

सदर्भित पत्र से आवंटित 128 वृक्षो की छपान सूचियो में से निम्न वृक्षों की छपान सूची को ग्राम पचायतो के बीच चल रहे विवाद के कारण पातन नही होने से निरस्त किया जाता है।

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति का नाम	व्यास	वृक्षों की सं0	आयतन
1	[illegible] राज्य वन भूमि	चीड़ हरा खड़ा	30-40	[illegible]	1.364
			40-50	1	1.289
			50-60	2	4.548
2	वन पंचायत	चीड़ हरा खड़ा	10-20	[illegible]	-
			20-30	2	0.508
			20-30	3	0.762
			30-40	1	0.682
			50-60	2	4.548
3	जमनीपार राज्य वन भूमि	चीड़ हरा खड़ा	20-30	19	4.826
			30-40	10	6.8[illegible]
			40-50	8	10.[illegible]
			50-60	2	4.548
			60-70	1	3.583
4	नाप भूमि [illegible]	[illegible] हरा खड़ा	40-50	1	0.[illegible]
			50-60	1	0.[illegible]
			[illegible]	1	0.3[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.2[illegible]
			[illegible]		1.1[illegible]
			[illegible]	1	0.[illegible]

स्मा0टि0
[illegible] 3
[illegible]
[illegible]

ANNEXUR-5
(Page 1 to 2)

(संलग्नक-2)

1

परियोजना का नाम:– गगास-उडीमहादेव-शैलापानी-गिंवियासैण-मरचूला मोटर मार्ग 10 कि.मी. 7.297 है.

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की योजना

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित गगास-उडीमहादेव-शैलापानी-गिंवियासैण-मरचूला मोटर मार्ग हेतु निर्माण कार्य से उत्पादित मलुवा किमी 0 से 10 तक के कटान कार्य का कुल मलवा वृक्षविहिन बेनाप भूमि एवं जलविहिन भूमि में डाला जायेगा । तथा 20 प्रतिशत मलुवा मार्ग निर्माण के समय मार्ग में पीछे की ओर फैलाकर रौलर से कुटाई कर बिछा दिया जायेगा,

(2) मार्ग में प्रति कि.मी. 4 पासिंग प्लेस बनाये जाते हैं। जिस हेतु मार्ग निर्माण से प्राप्त 15 प्रतिशत मलुवा भरकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जायेगी,

(3) मार्ग में 15 प्रतिशत मलुवा जो पत्थर व बोल्डर के रूप में प्राप्त होगा उसको दीवरो, स्कपरों, पुलियों तथा दीवारों के पीछे भरान हेतु प्रयोग किया जायेगा

अमीन निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत

(संलग्नक-3) 15 (5) 2

लैण्ड शेड्यूल

परियोजना का नाम:- जगास - उड़ीमहादेव - शैलापानी - भिकियासैण मरचूला मोटर मार्ग 10 कि.मी. 7.297 है.

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	याचित क्षेत्रफल (है०)
अल्मोड़ा	द्वाराहाट/भिकियासैण	द्वाराहाट/भिकियासैण	15, 16, 17, 26, 47, 48, 54, 64, 66, 117, 118, 123, 127, 100, 167, 172, 197	364 नाली 13 मुट्ठी	7.297 है.

अमीन
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रति हस्ताक्षरित

पटवारी
सिगोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी,
भिकियासैण (उत्तराखण्ड)

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner

ANNEXURE - 6
(Pages 1 to 3)

1

[illegible]

संलग्नक - 6

[illegible]

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड के [illegible] उड्डीयानदेव-भिकियासैंण-मरचूला मोटर मार्ग के ग्राम जमीनीयां के [illegible] पान सिंह आदि पुत्र देव सिंह इत्यादि, नवलकिशोर आदि पुत्र [illegible] इत्यादि, भवानी राम आदि पुत्र कर्मालया, गौरी राम पुत्र गुमानीराम [illegible] श्री रघ्वानीराम आदि पुत्र नन्द राम नाप भूमि का प्रस्ताव इस [illegible] द्वारा तैयार कर लिये गये हैं। जिनका आपसी समझौते द्वारा प्रतिकर [illegible] किया जाना है। प्रस्तावित काश्तकारों को सूचित किया जाता है कि अपने साथ दो पास पोर्ट साईज फोटो, फोटो पहचान पत्र, कम्प्यूटर खतौनी, [illegible] द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एक शपथ पत्र (रु 10.00 के स्टाम्प पेपर [illegible] जो नोटरी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो) लाना है।

नोट:- [illegible] इस कार्यालय के [illegible] 220038 पर एवं किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय [illegible] की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, [illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
दूरभाष 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल eepwdrkt@gmail.com

पत्रांक 1001 /27सी. दिनांक,रानीखेत, [illegible]

सेवा में,

ग्राम प्रधान,
ग्राम सभा जमीनीआर/जमीनीपार,
पो0-ईड़ा (बारखाम)
जिला-अल्मोड़ा।

विषय :- गगास-उड़ीलहादेव-शैलापानी-भिकियासैण-मरचुला मोटर मार्ग के नाप भूमि प्रतिकर प्राप्त करने सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक क्रम में आपको अवगत कराना है कि मा0उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन स0 3026/एम0एस0/2019 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के नाप भूमि प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा गठित कर लिये गये है। मुआवजा वितरित करने से पूर्व प्रभावित काश्तकारों द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही नाप भूमि के प्रतिकर के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूची संलग्न है :-

1 प्रभावित भू. नम्बरों की वर्तमान कम्प्यूट्राईज्ड खतौनी।
2 पट्टी पटवारी द्वारा भू. नम्बरों का कब्जा सत्यापन प्रमाण पत्र।
3 प्रभावित काश्तकार का पैन कार्ड।
4 प्रभावित काश्तकार का आधार कार्ड।
5 प्रभावित काश्तकार की दो फोटो प्रतियां।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से प्रभावित काश्तकारों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- सूची

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 1001 /27सी. तद्दिनांकित

प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, द्वाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Scanned with CamScanner

संलग्नक-7.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल [illegible]

पत्रांक 325 /18 सी. दिनांक, रानीखेत, [illegible]
सेवा में,

[illegible]
ग्राम सभा–[illegible]नीपार,
पो0–[illegible],
जिला–अल्मोड़ा।

विषय :- ग्वालस उड़ीमल्हाटे–रौलापानी–[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग [illegible] प्रतिकर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 101/27 सी0 दिनांक [illegible].01.20[illegible]

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन सं0 3626/एम0एस0/2010 में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के नाप भूमि प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा गठित कर लिये गये है। मुआवजा वितरित करने से पूर्व उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रभावित काश्तकारों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया था। मुआवजा प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 02.02.2020 को दैनिक अमर उजाला में भी विज्ञप्ति दी गयी थी, परन्तु किसी भी काश्तकार द्वारा वर्तमान तक कोई भी आवश्यक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मुआवजा प्राप्त किये जाने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, उसके पश्चात ही मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

1. प्रभावित भू. नम्बरों की वर्तमान कम्प्यूटराईज खतौनी।
2. पट्टी पटवारी द्वारा भू नम्बरों का कब्जा सत्यापन प्रमाण पत्र।
3. प्रभावित काश्तकार का पैन कार्ड।
4. प्रभावित काश्तकार का आधार कार्ड।
5. प्रभावित काश्तकार की दो फोटो प्रतियां।

संलग्न:- सूची।

रसीद नं. 16913
पत्रांक 12-127
दिनांक 19-8-2020

भवदीय,

(मोहन [illegible])
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 325/18 C तद्दिनांकित
प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, द्वाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही [illegible] करें।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0 [illegible]

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-7
(Pages 1 to 3)

1

संलग्नक -4

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition (M/S) No.3626 of 2019

Hema Devi & others ...Petitioners

Versus

State of Uttarakhand & others ...Respondents

Present:- Mr. Ghanshyam Joshi, Advocate for the petitioners.
Mr. N.S. Pundir, Deputy Advocate General, for the State/respondent Nos. 1 to 6.

Hon'ble Sudhanshu Dhulia, J.

The petitioners before this Court had challenged the construction of Gagas- Reethamahadev - Selapani Road, which is in District Almora.

2. The contention of the petitioners before this Court is that they have earlier fought a long battle in their demand for construction of a road, which was ultimately sanctioned and constructed. Now the present road, which is being constructed takes away 200 meters of their land, for which no land acquisition proceedings have been initiated by the respondent authorities.

3. Evidently for a construction of the present road as well there is a long demand of villagers and though the present road i.e. Gagas- Reethamahadev- Selapani Road does not connect the village of the petitioners but it does connect many other villages. As far compensation is concerned the same has been determined on the basis of mutual agreement between most of the other villagers and the State.

[illegible]
[illegible] 10910
[illegible] 29-1-023
19-3-020
कोर्ट मुहरिर [illegible]
[illegible]

Scanned with CamScanner

4. This Court vide order dated 06.01.2020 has appointed Sri Devesh Upreti, who is a practicing lawyer of this Court, as Court Commissioner, to examine whether the road in question broadly serves the public purpose, as was the case of the State authorities.

5. In compliance of this Court's order dated 06.01.2020, the Court Commissioner has submitted his report dated 10.01.2020.

6. Perused the report dated 10.01.2020. In view of this Court, it is a well considered report. As per the report, the road is required in the public interest. Even for the 200 meters land, which is a barren land, in any case, the petitioners are liable to get compensation in accordance with law, for which the petitioners may make a request to the authority concerned. The relevant portion of the report dated 10.01.2020 reads as under:-

> "As per the information given to me if this patch of about 2 and half kilometers is constructed not only the people residing surrounding in the disputed shall be benefited but also the public in large shall be benefited. The officials of PWD also informed that if the road in dispute (Gagas-Reetha Mahadev-Selapani) is constructed it will reduce the financial burden on the State as well.
>
> After visiting the place I was informed that the residents of villages Reethe Mahadev, Udali, Kheeriya are still living a very hard and very backward life due to non construction of the Gaga-Reetha Mahadev-Selapani Road.
>
> The inspection was made in presence of the about 25 persons in which the petitioners no.2 & 2 were also present from Banghat to Kulikhet. The petitioners acknowledged that the inspection was made in their presence,

The acknowledgement letter is enclosed with this report."

This Court has also been informed by the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ranikhet, Almora that a link road connecting the village of the petitioners to the road has already been sanctioned and the matter will be pursued and the road will be constructed in due course. For this approval has already been made and the land has been acquired as per the mutual negotiations.

8. In view of the above position, there can be no occasion to stop the construction of the motor road as demanded by the present petitioners, since the motor road is in public interest. The writ petition stands dismissed.

Sd/-
(Sudhanshu Dhulia, J.)
10.01.2020

Naresh

Compared by

PHOTOSTAT
TRUE COPY
2/11/2

Assistant Registrar (Copying)
High Court of Uttarakhand
Nainital

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

ANNEXURE- 8
(Pages to 3)

1

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WRIT PETITION (M/S) NO. 3626 OF 2019

Hema Devi and others. ……………..Petitioners.

Vs.

State of Uttarakhand and others. ....Respondents.

&

SPECIAL APPEAL NO. 40 OF 2020

Hema Devi and others. ……………..Appellants.

Vs.

State of Uttarakhand and others. ....Respondents.

Sri B.D. Pande, learned counsel for the appellants-writ petitioners.
Sri Vikas Pandey, learned Standing Counsel for the State of Uttarakhand.

Dated : 12th February, 2020

Coram: **Hon'ble Ramesh Ranganathan, C.J.**
Hon'ble R.C. Khulbe, J.

Ramesh Ranganathan, C.J. (Oral)

Heard Sri B.D. Pande, learned counsel for the appellants-writ petitioners, and Sri Vikas Pandey learned Standing Counsel for the State Government, and, with their consent, the Special Appeal is disposed of at the stage of admission.

2. The jurisdiction of this Court was invoked by the appellants-writ petitioners seeking (i) a writ of mandamus directing the respondents not to construct the Gagas-Urimahadev- Selapani road without adopting due process of land acquisition provided by law; and (ii) a writ of mandamus directing the first respondent to set up a fair inquiry regarding relevancy and utility of the Gagas-Urimahadev-Selapani road.

3. When we asked Sri B.D. Pande, learned counsel for the appellants-writ petitioners, as to how the appellants-writ petitioners can invoke the extra-ordinary jurisdiction of this Court seeking an inquiry regarding the relevancy and utility of a particular road, learned counsel would fairly state that the appellants-writ petitioners are not pressing for the second prayer; and that his claim be confined to the grant of Prayer No. 1 alone. Prayer No. 2 of the writ petition is, accordingly, dismissed as not pressed.

4. The appellants-writ petitioners' case, in short, is that possession of their lands was sought to be forcibly taken for construction of a road, without

villagers had given their consent, several others, including the appellants-writ petitioners, had not given their consent for possession of lands being taken for construction of a road and, consequently, they cannot be deprived of their property except by initiating proceedings under the Land Acquisition Act.

5. Sri Vikas Pandey, learned Standing Counsel for the State Government, would fairly state that the contents of the counter-affidavit disclose that a few villagers, including the appellants-writ petitioners, had not given their consent for possession of their lands being taken for construction of a road; and no road has been constructed on the disputed portion of the land i.e. on that part of the land for which consent, for taking possession, had not been given by the owners of the land.

6. In the order under appeal, the learned Single Judge appointed an Advocate Commissioner to examine whether the road in question served a public purpose and, based on the report of the Advocate Commissioner, expressed its satisfaction that a link road, connecting the village of the appellants-writ petitioners to the road already sanctioned, was in public interest. The learned Single Judge opined that, for this, approval had already been granted; and the land had been acquired as per mutual negotiations.

7. While the State Government can, undoubtedly, enter into a mutual agreement with owners of the land, and purchase the land at the mutually agreed price, so long as the mutually agreed price is fair and reasonable, no owner can otherwise be deprived of his / her land except by resort to acquisition proceedings in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (for short the '2013 Act').

8. Under Article 300-A of the Constitution of India, no person shall be deprived of his property save by authority of law which, in the present case, is the 2013 Act.

9. Since it is not in dispute that the appellants-writ petitioners have not consented to part with their lands for construction of the road, the only manner in which the road can be laid is if the State Government exercises its powers of eminent domain, initiates proceedings for acquisition of the land, and takes possession thereof in accordance with the provisions of the 2013 Act.

10. The order under appeal is, therefore, set aside and the writ petition is disposed of directing the respondents not to interfere with the appellants-writ petitioners' possession of the subject land, except after acquiring the subject land in accordance with the provisions of the 2013 Act.

11. The Special Appeal is disposed of accordingly. No costs.

(R.C. Khulbe, J.)
12.02.2020

(Ramesh Ranganathan, C.J.)
12.02.2020

Rathour

ANNEXURE- 9
(Pages 1 to 2)

संलग्नक - 9.

सेवा में

श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
वन प्रभाग अल्मोड़ा.

महोदय

मैं कौस्तुभ कुमार सिंह रावत पुत्र स्व० श्री जीवन सिंह रावत निवासी ग्राम जमीनी पार पो० ईड़ा बारहखाम तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) जो कि पूर्व में वर्ष 2003 से 2008 एवं वर्ष 14 से 2019 तक ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत जमीनी पार के पद पर रहा प्रधान पद में मेरे हस्ताक्षर निम्न है, मैंने कभी हस्ताक्षर कर किसी विभाग को कोई अनापत्ति नहीं दी, न ही ग्राम की वन पंचायत एवं भू स्वामियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनापत्ति दी गई, नहीं वर्ष 2003 से आज तक लो० नि० वि० द्वारा अनापत्ति मांगी गई।

प्रार्थी

दिनांक
09-10-2020

कौस्तुभ कुमार सिंह रावत
ग्राम जमीनी पार.

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 8

ANNEXURE 2

[illegible] अभियन्ता महोदय
[illegible] विभाग, रानीखेत
[illegible] ग्राम सौराम होवेच कीर्तिनगर [illegible]

विषय [illegible]

महोदय, [illegible] निवेदन इस प्रकार है कि उक्त [illegible] के [illegible] लोगों से दूर दराज से खींचने के सम्बन्ध में [illegible] की है, जबकि इन [illegible] को कोई [illegible] नहीं है, श्री [illegible] महोदय द्वारा [illegible] की [illegible] के सभी ग्रामवासियों को स्वीकार्य है [illegible] विभाग से [illegible] निर्माण हेतु निवेदन करती है।
[illegible] से निवेदन है [illegible] का [illegible] की कृपा करें।

भवदीय
[illegible]
ग्राम [illegible]

प्रधान [illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible] (टिहरी)

रियाल
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible]

ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible] (टिहरी)

12-10-20
15-10-2020